रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23122022-241348
CG-DL-W-23122022-241348

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 20—अग्रहायण 26, 1944
No. 27] NEW DELHI, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 20—AGRAHAYANA 26, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2022

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सामान डिपो, भंडार स्टाफ, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक इसका संबंध भंडार स्टाफ, समूह 'ग' के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, माननीय राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में अधीक्षक (भंडार) और भंडारी (भंडार स्टाफ, समूह 'ग' पद) भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, भंडार स्टाफ समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने कि शक्ति** :- जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) अधीक्षक (भंडार)	66* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (रु 19900-63200) में भंडारपालों में से श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहर्क या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं ; या

(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-2 (रु 19900-63200) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा की है ।

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:

(i) सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या एक विषय के रूप में सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा या समतुल्य ; और चिकित्सा भंडार डिपो में तीन वर्ष का अनुभव ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संवंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -: 1. अपर महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भंडार) - अध्यक्ष, 2. उप महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य, 3. निदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) भंडारी	85* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (रु 19900 - 63200) ।	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथील की जा सकेगी) **टिप्पण -: 1** आयु सीमा-निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) संगठन, पीएसयू या विश्वविद्यालय या बैंको या भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध निजी क्षेत्र के संगठनों में भंडार संभालने और भंडार के खातों के संचालन का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अहर्ता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की

					उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। **टिप्पण -: 2** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	जा सकती है जब चयन के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है; (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; और (ख) स्तंभ (7.) में उल्लेखित सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं व अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भंडार) - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य; 3. निदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा. सं. 3069/आरआर/स्टोर स्टाफ/डीजीएएफएमएस/डीजी-2बी/218/र॰(नि॰)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th October, 2022

S.R.O. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Storekeeping Staff, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent(Store) and Storekeeper (Group ‘C’ Storekeeping posts) in the Directorate General Armed Forces Medical Services in the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, (Group ‘C’ Storekeeping posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**. - The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc**. -The method of recruitment for the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age- limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Superintendent (Store).	66* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion. From amongst Store Keepers in Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-2 (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing the following educational qualifications and experience: - (i) Diploma in Material Management or any Diploma having Material Management as a subject or Diploma in Pharmacy from a recognised University or Institution or equivalent; and three years experience in a Medical Store Depot.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment & Stores) - Chairman, 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Planning) - Member, 3. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Storekeeper.	85* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years and 45 yrs for Scheduled Caste or Scheduled Tribe, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

					Note 1:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. **Note 2:-** In the case of recruitment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) 12th Class from a recognized Board or University. (ii) One-year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of Central or State Government, autonomous or statutory organization, PSUs or University or banks or in a Private sector organization listed on the stock exchange(s) of India. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, any state of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.	Not Applicable.	Two years for direct recruits.	Direct recruitment. **Note**:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. (7). (The maximum age-limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable.

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment & Stores) - Chairman,	Not applicable.

2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Planning) - Member, 3. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member.	

[F. No. 3069/RR/Store Staff/DGAFMS/DG-2B/218/D(Appts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 69.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, कारपोरेट मुख्यालय, कानपुर को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड,
कारपोरेट मुख्यालय
कालपी रोड, कानपुर-208009
उत्तर प्रदेश

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

शलभ त्यागी, संयुक्त सचिव

(Department of Defence Production)

New Delhi, the 13th December, 2022

S.R.O. 69.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules,1976, the Central Government hereby notifies the following Advanced Weapons &Equipments India Limited,, Corporate Headquarters, Kanpur more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Advanced Weapons &Equipments India Limited,
Corporate Headquarters,
Kalpi Road, Kanpur-208009
Uttar Pradesh

[F. No.5 (2) /2022-D (OL-2)]

SHALABH TYAGI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.23 16:38:36 +05'30'